

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

राज्य बीमा निगम ऑफिस कम्प्लेक्स, राजेन्द्र प्रक, राजेन्द्र प्रक, नई दिल्ली-110008

संख्या डी/केन- /बीमा /डि० - /11-30-253-101

दिनांक 14/5/04

सेवा में

मेसर्स Sarvesh Security Services (P) Ltd.
413, Pocket-E, Mayur Vihar Ph-I,
Delhi-91.

विषय - कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (संशोधित) की धारा 2 (12)/1 (5) के अंतर्गत कर्मचारियों तथा फेक्टरियों/स्थापनाओं का पंजीकरण।

प्रिय महोदय,

आपको सूचित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 1 (3) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के अधिसूचना सं० एस०एफ०-12(36) दिनांक 1-2-52 के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली (क्षेत्र) के अंतर्गत अधिनियम के अधीन शामिल सभी फेक्टरियों पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के उपबंधों को लागू किया गया है।

आपको यह भी सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त सरकार ने अधिनियम के उपबंधों का विस्तार कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 1 (5) के अधीन अन्य स्थापनाओं पर नीचे उल्लिखित तारीख से किया है।

स्थापनाओं का विवरण	अधिसूचना संख्या तथा तारीख	क०रा० बीमा निगम (एसिक) योजना के विस्तार की तारीख
1. पिछले बारह महीनों के दौरान किसी भी दिन कोई परिसर (उसके उप-क्षेत्रों सहित) में जहाँ दस अथवा उससे अधिक लेकिन किसी भी दश में 20 से कम व्यक्ति नियोजित है अथवा नियोजित थे तथा उसके किसी भी भाग में विद्युत शक्ति की सहायता से असाधारणतया विनिर्माण प्रक्रिया चल रही है।	एफ-27(2)/75-तैब 28-3-75	29-3-75
2. पिछले बारह महीनों के दौरान किसी भी दिन कोई व्यक्ति परिसर में नियोजित है अथवा नियोजित था तथा उसके किसी भाग में विद्युत शक्ति की सहायता से असाधारण तथा विनिर्माण प्रक्रिया चल रही जा रही है।	-वही-	-वही-
3. निम्नलिखित स्थापनाएँ जहाँ पिछले 12 महीनों के दौरान किसी तारीख को 20 अथवा उससे अधिक व्यक्ति नियोजित हैं अथवा नियोजित थे जैसे -	-वही-	-वही-
1. होटल		
2. रेस्तराँ		
3. पूर्व दर्शन सिवेटर सहित सिनेमा		
4. सड़क मोटर परिवहन	एफ-27(2)/4-तैब दिनांक 26-3-76	28-3-76
5. सभाघर व पत्र परिवहन		
6. दुकानें	एफ-28(20)/88/आई.एम.पी. तैब दिनांक 30-9-88	2-10-88

अधिनियम की धारा 2 (क) के अधीन ऐसी किसी फेक्टरी/स्थापना को अधिनियम के अधीन पंजीकृत कराना आवश्यक है जहाँ उसके अध्याय 4 के अनुसार मुख्य नियोजक की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने कर्मचारियों को योजना में शामिल कराए तथा अधिनियम के अधीन उनके संबंध में अंशदान की अदायगी करें।

इसके अतिरिक्त पंजीकरण/क०रा० बी० अधिनियम के अधीन कूट सत्या सहित व्यक्त दुकान या कारखाना के अतिरिक्त नियोजक धारा 40(1) और 41 के अधीन अपने प्रधान नियोजक के उपरान्त पंजीकृत कराने के लिए उत्तरदायी है।

For Sarvesh Security Services Pvt. Ltd.


Authorised Signatory



